एस0एन0 अग्निहोत्री,
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय,
बांदा, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, कुशीनगर, (पडरौना), बहराइच, सुलतानपुर, उन्नाव, चन्दौली, रामपुर, बाराबंकी, हरदोई, देवरिया, एटा, इटावा, बदायूँ, ललितपुर, सीतापुर, बिजनौर, बलरामपुर, कन्नौज एवं बलिया।

पत्र संख्या:2508 / एसएलएसए– 05 / 2002 (पीएस / डी.राम) दिनांक: जुलाई 30 2015

विषय: **द्वितीय चरण में गठित स्थायी लोक अदालत के सदस्यों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस प्राधिकरण के पूर्व पत्र संख्या–1759 / एसएलएसए–5 / 2002 दिनांकित मई 15, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त पद पर चयन / नियुक्ति हेतु सम्यक प्रचार प्रसार के उपरान्त सुयोग्य व्यक्तियों की चयन संबंधी कार्यवाही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से सुनिश्चित करायें। उक्त के संबंध में आप द्वारा कृत कार्यवाही की कोई सूचना इस प्राधिकरण को अभी तक प्राप्त नही हुई है।

उल्लेखनीय है कि सदस्यों की नियुक्ति हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधानित है:–

2(b) "Two other persons having adequate experience in public utility services & to be nominated by the Central Government or, as the case may be, the State Government on the recommendation of the Central Authority or, as the case may be the State Authority."

जहाँ तक द्वितीय चरण में गठित होने वाली स्थायी लोक अदालत मे कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रश्न है तो इस संबंध में शासनादेश संख्या–628 / सात–न्याय–7–2014–47 / 2002 दिनांकित 22.7.2014 द्वारा स्थायी लोक अदालतों में पेशकार, आशुलिपिक ग्रेड–2 तथा चपरासी की नियुक्ति जिला जजी / कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मियों में से निर्धारित मानदेय पर अधिकतम 2 वर्ष हेतु किया जाना है (छाया प्रति संलग्न)।

उक्त संबंध में चयन समिति (संबंधित जिले के जिला जज / अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य प्राधिकरण के अधिकारी) द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त सदस्य हेतु उपयुक्त पाये गये तीन नामों व अन्य कर्मचारियों की सूची माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जानी है।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि द्वितीय चरण में गठित होने वाली स्थायी लोक अदालतों में सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों के चयन / नियुक्ति हेतु यदि कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की है, तो अविलम्ब प्रचार–प्रसार करते हुए संबंधित से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर साक्षात्कार की तिथि निर्धारित करने के लिए सम्यक सूचना इस प्राधिकरण को दिनांक 10.08.2015 तक प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे राज्य प्राधिकरण द्वारा आपके जनपद में उपरोक्त चयन / नियुक्ति हेतु तिथि का निर्धारण कर अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।

Secy. DLSA. to take n.a. Put up before Hon'ble D.J.

(एस0एन0 अग्निहोत्री) 29.7.2015
सदस्य सचिव

सं0–628/सात–न्याय–7–2014–47/2002

प्रेषक,

अब्दुल शाहिद,
विशेष सचिव,एवं अपर विधि परामर्शी
न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ।

न्याय अनुभाग–7 (क0नि0) लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2014

विषय:- प्रदेश के 24 जनपदों में गठित स्थायी लोक अदालतों हेतु पद धारकों को मानदेय का निर्धारण किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में कृपया शासनादेश संख्या–473/सात–न्याय–7– 2014–47/2002 दिनांक 19–6–2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्वितीय चरण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदेश के निम्न 24 जनपदों में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्थायी लोक अदालतों के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

1.बांदा	9. सुल्तानपुर	17. इटावा
2.मैनपुरी	10. उन्नाव	18.बदायूं
3.मथुरा	11. चन्दौली	19.ललितपुर
4.मुजफफरनगर	12.रामपुर	20. सीतापुर
5. पीलीभीत	13. बाराबंकी	21. बिजनौर
6. प्रतापगढ़	14. हरदोई	22.बलरामपुर
7. कुशीनगर (पडरौना)	15. देवरिया	23.कन्नौज
8. बहराइच	16. एटा	24.बलिया

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त जनपदों में गठित स्थायी लोक अदालतो हेतु निम्न पदों पर पद धारकों को, राजस्व व्यय को सीमित किए जाने के उददेश्य से उन्हें एक निश्चित मानदेय पर अधिकतम 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा:–

क्र0	पदनाम	प्रत्येक जनपद हेतु पद	पदों की संख्या	वेतनमान/मानदेय (रूपये में)
1	अध्यक्ष	01	23	शासनादेशसं0–300/7–न्याय–सात–2008–47/2002दि0–24–4–2008 द्वारा रू0 500/– प्रति बैठक मानदेय निर्धारित है।
2	सदस्य	02	46	शासनादेशसं0–300/7–न्याय–सात–2008–47/2002दि0–24–4–2008 द्वारा रू0 400/– प्रति बैठक मानदेय निर्धारित है।
3	पेशकार	01	23	जिला जजी/कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मियों में से निर्धारित मानदेय पर अधिकतम 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना
4	आशुलिपिक ग्रेड–2	01	23	–तदैव–
5	चपरासी	01	23	–तदैव–

- 2 -

3— अध्यक्ष एवं सदस्य को छोड़कर अन्य उक्त पद धारकों (पेशकार, आशुलिपिक ग्रेड—2 एवं चपरासी) को देय मानदेय का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जाना है।

4— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त 24 जनपदों में गठित स्थायी लोक अदालतों के पद धारकों — पेशकार, अशुलिपिक ग्रेड—2 एवं चपरासी को प्रति बैठक मानदेय का निर्धारण किये जाने हेतु औचित्य पूर्ण एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल शाहिद)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी